सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 20, मंगलवार, *शाके* 1947- जून 10, 2025	
Jyaistha 20, Tuesday, Saka 1947- June 10, 2025	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 10, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.) डीएलबी/24/3414 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं पाटा (जिला-अलवर) के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांकःप.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.) डीएलबी/23/3311-3350 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुबारिकपुर के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत पाटा के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगरपालिका में वार्ड सदस्य समझा जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक पं.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.) डीएलबी/23/3311-3350 दिनांक 10.08.2023 को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगरपालिका मुबारिकपुर (जिला-अलवर)के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं अन्य राजस्व यथावत कार्यरत रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुमार पाल गौतम,
निदेशक एवं विषिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।